संख्या-111/2023/1/390871/2023/001-71-2099-255-2021

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 सितंबर, 2023

विषयः- संस्थान परिसर में निर्मित मैरिड डाक्टर हास्टल 200 नग पर 05 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 धनराशि रू0 4927140.00 अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अभि0/एन0बी0-85/2012/334/2023, दिनांक 05.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में निर्मित मैरिड डाक्टर हास्टल 200 नग पर 05 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 4927140.00 अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु संस्थान परिसर में निर्मित मैरिड डाक्टर हास्टल 200 नग के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 10.09.2015 द्वारा रू0 4131.00 लाख की मूल स्वीकृति एवं शासनादेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा रू0 5474.67 लाख + (जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से परियोजना की समस्त धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान परिसर में निर्मित मैरिड डाक्टर हास्टल 200 नग पर 05 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 4927140.00 (रू0 उन्चास लाख सत्ताईस हजार एक सौ चालीस रूपये मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-22 /दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
2. निदेशक/वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नाकतकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त् नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नानतकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49,27,140 (रुपये उनचास लाख सत्ताईस हजार एक सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-111/2023/1/390871/2023/001-71-2099-255-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।